आई एस 6003: 2010 के अनुसार पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त काँटेदार तार के लिए उत्पाद मैनुअल

इस उत्पाद मैन्युअल का उपयोग सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों और लाइसेंसी द्वारा संदर्भ सामग्री के रूप में किया जाए ताकि विभिन्न उत्पादों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की स्कीम -1 (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के अंतर्गत प्रमाणन प्रचालन रीति में सुसंगति और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस दस्तावेज का उपयोग बीआईएस प्रमाणीकरण अनुज्ञप्ति / प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक भावी आवेदकों द्वारा भी किया जा सकता है।

1.	उत्पाद	:	आई एस 6003: 2010
	शीर्षक	:	पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त काँटेदार तार
	संशोधनों की संख्या	:	शुन्य
2.	नमूने लेने हेतु दिशा-निर्देश:		
a)	कच्ची सामग्री	:	तार – आई एस 6003 : 2010 का खंड 4
b)	समूहीकरण हेतु दिशा-निर्देश	:	कृपया अनुबंध – 'क' देखें
c)	नमूने का साइज	:	यांत्रिक परीक्षण के लिए 2 नग x 1 मीटर, शिथिलन परीक्षण के लिए 3 मीटर, और रसायन परीक्षण के लिए 50 gm वेधन
3.	परीक्षण उपस्करों की सूची	:	कृपया अनुबंध – 'ख' देखें
4.	निरीक्षण एवं परीक्षण की योजना	:	कृपया अनुबंध – 'ग' देखें
5.	एक दिन में किए जाने वाले संभावित परीक्षण : कृपया अनुबंध – 'घ' देखें		
6.	अनुज्ञप्ति का विषय-क्षेत्र:		
	"अनुज्ञप्ति निम्नलिखित विषय क्षेत्र सहित आई एस 6003: 2010 के अनुसार मानक मुहर का उपयोग करने के लिए प्रदान की जाती है:		
	उत्पाद का नाम		पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त काँटेदार तार
	साइज (mm)		

भारतीय मानक ब्यूरो,
मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

अनुबंध -क

समूहीकरण हेतु दिशा-निर्देश

1. आई एस 6003: 2010 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट में प्रयुक्त काँटेदार तार को समाविष्ट करता है।

   क) अभिहित साइज – 8.00 , 7.00, 5.00, 4.00, 3.00 और 2.50 mm

   ख) ज्यामितीय लाक्षणिक – अंडाकार अभिस्थापना, गोल अभिस्थापना
   (इसके साथ, निर्माता और खरीदार के बीच सहमति के अनुसार किसी अन्य प्रकार की अभिस्थापना)

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रदत्त लाइसेंस/ अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को विकसित किया गया हैं-

   क) किसी भी अभिहित साइज के एक तार का परीक्षण सभी अभिहित साइजों को अनुज्ञप्ति के विषय-क्षेत्र में समाविष्ट करने के लिए किया जाएगा।

3. फर्म उन तारों की किस्मों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह अनुज्ञप्ति में शामिल करना चाहते हैं। निर्माता की निर्माण और परीक्षण क्षमताओं के आधार पर अनुज्ञप्ति का दायरा सीमित किया जा सकता हैं।

4. अनुज्ञप्ति प्रचालन के दौरान, शाखा कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्ति में शामिल सभी किस्मों का परीक्षण यथा संभव आवर्तन में हो।

अनुबंध- ख

परीक्षण उपस्करों की सूची

भारतीय मानक के अनुसार परीक्षण के लिए आवश्यक प्रमुख परीक्षण उपस्कर

क्रम संख्या	खंड संदर्भ के साथ प्रयोग में आने वाले परीक्षण	परीक्षण उपकरण
1	रासायनिक संरचना (खंड 4.1.1)	क) सल्फर और फास्फोरस परीक्षण के लिए आई एस 228 के सम्बद्ध भागों के अनुसार सभी कांच के बर्तन एवं रसायन
2	अभिहित साइज एवं सहनशीलता (खंड 5.1 और 6)	क) सूक्ष्म मापी ख) वर्नियर कैलिपर
3	अभिहित द्रव्यमान (खंड 6.1.2)	क) तराजू ख) इस्पात स्केल
4	तनन सामर्थ्य (खंड 7.1) प्रमाणक प्रतिबल (खंड 7.2) विभंजन के पश्चात् (खंड 7.4)	क) तनन परीक्षण मशीन / यूटीएम ख) एक्स्टेन्सो मीटर ग) इस्पात स्केल
5	तन्यता (खंड 7.3)	क) अपेक्षित मैन्ड्रेल सहित बंकन प्रबंधन
6	श्लथन (खंड 7.5)	क) श्लथन परीक्षण मशीन ख) एयर कंडीशनर

उपरोक्त सूची केवल सांकेतिक है और इसे संपूर्ण न माना जाए

अनुबंध- ग
निरीक्षण और परीक्षण स्कीम

1. प्रयोगशाला – प्रयोगशाला का अनुरक्षण इस प्रकार किया जाए जिसमें उपयुक्त उपकरण (तालिका 1 के कॉलम 2 में दी गई अपेक्षा के अनुसार) और दक्ष कर्मचारी तैनात हों, जहाँ विशिष्टि में दी गई पद्धतियों के अनुसार विशिष्टि में उल्लिखित विभिन्न परीक्षण किए जाएं।

1.1 निर्माता परीक्षण उपस्कर हेतु एक अंशशोधन योजना तैयार करे।

2. परीक्षण रिकॉर्ड – अनुरूपता स्थापित करने के लिए निर्माता किए गए परीक्षणों का रिकॉर्ड अनुरक्षित करेगा।

3. लेबल लगाना और चिन्हांकन- आईएस 6003: 2010 की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए।

4. नियंत्रण इकाई – निरंतर उत्पादन के रूप में निर्माण की समान परिस्थिति में, समान ढलवाँ/ताप से निर्मित समान अंकित व्यास, आकार और अभिस्थापन की पद्धति की सभी काँयल एक नियंत्रण इकाई होंगे।

5. नियंत्रण के स्तर - तालिका 1 के कॉलम 1 में उल्लिखित परीक्षण और तालिका 1 के कॉलम 3 में नियंत्रण स्तर कारखाने के उस संपूर्ण उत्पादन पर किए जाएं जो इस योजना में शामिल हैं और उपर्युक्त खंड 2 के अनुसार उचित रिकॉर्ड रखा जाए।

6. अस्वीकरण – गैर-अनुरुपता वाले उत्पाद का निपटान इस प्रकार किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

7. तालिका 1

(1)				(2)	(3)		
परीक्षण विवरण				अनुमत परीक्षण उपस्कर अपेक्षा अ: अपेक्षा (या) उ:उप अनुबंधित	नियंत्रण के स्तर		
खंड	अपेक्षाएं	परीक्षण पद्धतियाँ			नमूनों की संख्या	आवृति	टिप्पणियाँ
		खड	संदर्भ				
4	रासायनिक सरचना	4.1, 4.1.1	आइ एस 6003	उ	1	प्रत्येक कास्ट/ताप	परीक्षण प्रमाणपत्र या आइएआइ मुहरांकित प्राप्त होने पर किसी और परीक्षण की आवश्यकता नहीं
4	निर्माण	4.2 to 4.5	आइ एस 6003	अ	प्रत्येक काँयल	-	-
5.1	आभिहित साइज, छूट, अडाकारता, द्रव्यमान	5.1, 6	आइ एस 6003	अ			
5.2	ज्यामितीय लाक्षणिक	5.2	आइ एस 6003	अ			
7	भौतिक अपेक्षाए						
7.1	तनन सामर्थ्य	8.3	आइ एस 6003 आइ एस 1608	अ	3	प्रत्येक नियंत्रण इकाई	विफलता के मामले में, जिस काँयल से नमूना लिया गया था उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। प्रत्येक काँयल से लिए गअ नमूने का परीक्षण अनुवर्तन में होगा और केवल अनुरूपी कॉइलों को मुहरांकित किया जाएगा। जब क्रमवार पाँच कॉइलों से लिए गए नमूने अपेक्षाएं पूरी करेंगे तो पूर्व आवृति पुन: स्थापित हो सकती है।
7.2	प्रमाणक प्रतिबल	8.4	आइ एस 6003 आइ एस 1608	अ	3		
7.3	तन्यता/ उत्क्रम बकन परीक्षण	8.5	आइ एस 6003	अ	3		
7.4	विभंजन के पश्चात दीर्घीकरण	8.6	आइ एस 6003 आइ एस 1608	अ	3		
7.5	श्लथन	8.7	आइ एस 6003	उ	1	माह में एक बार	100 h श्लथन परीक्षण के लिए #
10.5	प्रतिबल संक्षारण परीक्षण की सुग्रहिता	10.5	खरीदार की अपेक्षाओं के अनुसार				

क्षथन परीक्षण 100h के लिए किया जाएगा और रेखा-चित्र का बहिर्श्रेपण 1000h तक किया जाएगा। किसी भी एक साइज हेतु वर्ष में एक बार 1000h के लिए क्षथन परीक्षण किया जाएगा। यद्यपि, नमूने इस प्रकार से लिए जाएगे की अनुज्ञप्ति में समाविष्ट सभी साइज का कुछ समय की अवधि के अंदर यथा संभव सीमा तक परीक्षण किया जा सकें।

नोट -1 : ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या ब्यूरो द्वारा सूचीबद्ध सरकारी प्रयोगशालाओं के लिए उप-संविदा की अनुमति है।

नोट -2 : कॉलम 3 में दिए गए नियंत्रण के स्तर केवल अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं।

अनुबंध- ङ

एक दिन में किए जाने वाले संभावित परीक्षण

(i) रासायनिक संरचना (खंड 4.1.1)

(ii) परिसज्जा (खंड 4.3 से 4.5)

(iii) अभिहित व्यास (खंड 5.1 और 6.1)

(iv) ज्यामितीय लाक्षणिक (खंड 5.2)

(v) अभिहित द्रव्यमान (खंड 6.1.2)

(vi) तनन परीक्षण (खंड 7.1)

(vii) प्रमाणक प्रतिबल (खंड 7.2)

(viii) तन्यता (खंड 7.3)

(ix) विभंजन के पश्चात दीर्घीकरण (खंड 7.4)